# फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भंवर लाल टांक निवासी राजकीय विधालय के पास, डूंगरी, पो. हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर पिन – 303124

**– अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

**किस्म मुकदमा**–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 02/2024**

| कमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 29.01.2024**<br><br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक एफ.1( ) सू0अ0,05/प्र.अपील/2024/859–860 दिनांक 10.01.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलाण्ट का आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत ऑनलाईन पोर्टल से दिनांक 21.12.2023 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के राजस्व अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को पत्रांक 829 दिनांक 21.12.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 2806 दिनांक 22.12.2023 से पृष्ठ 01 की सूचना उपलब्ध करवाई गई। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 840 दिनांक 29.12.2023 से प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना को अधिप्रमाणित कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी को निश्चित समयावधि में सूचना प्रेषित की गई।<br><br>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।<br><br>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।<br><br>**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**<br><br>**लोक सूचना अपीलीय अधिकारी**<br>**(जिला कलक्टर) राजसमंद** | |